वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु नियंत्रणाधीन जिला अधिकारियों को आवंटन के विरूद्ध राशि व्यय करने संबंधी जारी दिशा–निर्देश

1. आवंटन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 02/वित्त/ब–4/चार /2016, दिनांक 01.04.2016 में निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

2. वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही (अप्रेल–सितम्बर–2016) के लिए आयोजना मद में उद्देश्य शीर्ष–01 (वेतन भत्ते), 02 (मजदूरी), 04 (001–डाक तार पर व्यय, 002–दूरभाष पर व्यय, 005–बिजली एवं जल प्रभार), 07 (आकस्मिकता स्थापना) मद को छोडकर शेष उद्देश्य शीर्षो के लिए 40 प्रतिशत राशि आवंटित की जा रही है । तथा आयोजनेत्तर मद में कुल प्रावधान का 90 प्रतिशत तक आवंटन जारी किया जा रहा है ।

3. वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही (केन्द्रीय योजनाओं की राज्यांश राशि सहित) में आवंटित बजट राशि का 40 प्रतिशत व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा ।

4. द्वितीय छमाही में 60 प्रतिशत व्यय किया जाएगा, जिसमें से तृतीय तिमाही में 25 प्रतिशत एवं चतुर्थ तिमाही में 35 प्रतिशत व्यय शामिल होगा । वित्तीय वर्ष के अंतिम माह अर्थात माह मार्च में व्यय की अधिकतम सीमा कुल प्राप्त आवंटन के 15 प्रतिशत तक होगी ।

5. आवंटन के विरूद्ध व्यय वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन पुस्तिका के भाग 'एक' एवं 'दो' में दिये गये अधिकारों के अंतर्गत किया जावे। जिन प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति/स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसे प्रकरणों में राशि व्यय करने के पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे।

6. किसी भी हालत में अतिरिक्त आवंटन की प्रत्याशा में बजट आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा।

7. व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

8. निर्माण कार्य से संबंधित ''डिपाजिट मद'' में रखी गई राशि का आवंटन, व्यय एवं वर्षान्त से पूर्व समायोजन, वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

9. चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि से प्रतिमाह व्यय समानुपातिक रूप से हो तथा व्यय में छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग–1 के नियम–8 (वित्तीय औचित्यतता के मानक सिद्यांतों) का पालन किया जाये।

10. आहरण अधिकारी द्वारा आवंटित राशि के आहरण के पूर्व कोषालय सहिता भाग–1 के अनुपूरक नियम–9 एवं अनुपूरक नियम–284 का पालन कड़ाई से किया जावे ।

11 आवंटित राशि से सामग्री क्रय के प्रकरणों में भंडार क्रय नियम–2002 एवं वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम–6, 9, 118, एवं नियम–119 का अनिवार्यतः पालन किया जावे ।

12 विभागीय नियम–निर्देशों के अनुरूप सामग्री क्रय के पूर्व कार्ययोजना तैयार करने के पश्चात ही न्यूनतम आवश्यक सामग्रियों का क्रय किया जावे ।

13. वित्त संहिता भाग–1 के नियम–147 में निहित प्रावधान अनुरूप विभागीय निर्माण कार्य/मरम्मत/अनुरक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही राशि का भुगतान योग्य चालू देयक के आधार पर कोषालय से आहरण किया जावे।

14. छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी वित्त निर्देशों का पालन किया जावे ।

15. विभागीय जिला कार्यालय प्रमुख जिला स्तर पर वित्तीय नियंत्रण, मासिक व्ययों के समीक्षा के लिये जिम्मेदार है, अतः व्यायाधिक्य की स्थिति के लिये भी वे ही जबावदेह होगें ।

16. अधीनस्थ आहरण अधिकारियों को राशि पुनराबंटित करने के पूर्व उनकी प्रत्येक योजना की वास्तविक आवश्यकता का शत–प्रतिशत आंकलन किये जाने के बाद ही पुनराबंटित की जावें।

17. पुनराबंटन के आदेश में बी.सी.ओ. कोड/अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारी का डी.डी.ओ. कोड/यो.क्र./योजना का नाम/मांग संख्या/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/स्पष्ट रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें।

18. आवंटित राशि से आपके द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी को जो आवंटन पुनरावंटित की जाये, उसकी एक–एक प्रति इस कार्यालय को, संबंधित कोषालय, उपकोषालय अधिकारी, एवं महालेखाकार रायपुर छ0ग0 को भेजी जाए तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाये कि वे व्यक्तिगत रूप से आवंटन की जानकारी कोषालय के कम्प्यूटर पर उपलब्ध करायें तथा यह सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बजट आवंटन अनिवार्यतः दिनांक 21 अप्रैल 2016 तक पुनरावंटित कर सर्बर में अपलोड कर दिया जावे। दिनांक–21 अप्रेल 2016 के पश्चात मुख्य सर्वर स्वतः लॉक हो जायेंगे।

19. चतुर्थ श्रेणी पद यथा आकस्मिकता स्थापना/दैनिक वेतन भोगी/अंशकालीन स्वीपर /पूणकालिक स्वीपर मद में आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी के आधार पर राशि आवंटित की गई है। नियमित भृत्य एवं आकस्मिकता स्थापना मद के लिए अलग अलग प्रदत्त आवंटन का व्यय स्वीकृत पदों के विरूद्ध वास्तविक कार्यरत पदों पर ही व्यय किया जावें। किसी भी परिस्थिति में इस मद में गलत वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दैनिक वेतन भोगी स्वीकृत पदों के विरूद्ध वास्तविक रूप से कार्यरत कर्मचारियों के मान से व्यय किया जावे तथा कार्यरत कर्मचारियों का वास्तविक रूप से आंकलन कर वर्ष 2016–17 के लिए सौंपी गई राशि से अधीनस्थ संस्थाओं को पुनरावंटित किया जावे।

बचत राशि को माह मई 2016 के मासिक व्यय प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से समर्पित किया जावे। ताकि राशि अन्य जिलों की मांग अनुरूप पुनरावंटित की जा सके। कार्यरत कर्मचारियों से अधिक भुगतान होने की स्थिति में संबंधित सहायक आयुक्त की जिम्मेदारी मानते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

20 वित्तीय वर्ष–2016–17 के बजट में संलग्न प्रपत्र अनुसार योजनाओं का अन्य योजना में संविलियन किया गया है। अतः जो योजनाऐं संविलियन की गई है, उनके संचालन की प्रक्रिया पूर्ववत् ही योजनावार पृथक–पृथक लेजर संधारित कर की जावे ।

21. राशि पुनराबंटित करने के बाद मद/उपमद में बचत राशि की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में उसे माह मई 2016 के व्यय पत्रक के साथ में अनिवार्यतः समर्पण करना सुनिश्चित करें। वर्षान्त में कोई राशि का समर्पण स्वीकार नहीं किया जावेगा। समर्पण करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि जितनी राशि का समर्पण किया जा रहा है, वह राशि सर्वर में उस योजना के अंतर्गत उपलब्ध हो।

22. मासिक व्यय प्रतिवेदन डी0डी0ओ0कोड/ट्रेजरी व्हाउचर नं0/मांग संख्या/मुख्यशीर्ष/ उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/यो0क0/योजना का नाम/प्राप्त आवंटन/व्यय राशि सहित तैयार कर ctdbudget@gmail.com एवं ctd.cg@nic.in पर सीधे कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर छ0ग0 को प्रेषित करें तथा एक–एक प्रति प्रत्येक माह की 05 तारीख तक संबंधित शाखा के लिपिक/कनिष्ठ लेखाधिकारी के हस्ते भेजना सुनश्चित करें। समय पर मासिक व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने पर संबंधित विभागीय जिला अधिकारी (सहायक आयुक्त) की जिम्मेदारी होगी, तथा उनके विरूद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।